न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21/2019 जिला–सीकर।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

1. सुरजाराम पुत्र श्री भूराराम
2. प्रभाती लाल पुत्र श्री भूराराम
3. छिगन लाल पुत्र श्री भूराराम
4. झाबरमल पुत्र श्री भूराराम
जाति जाट निवासीयान ढाणी देवन्दा वाली ग्राम मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. रामू पुत्र परसा जाति जाट निवासी ढाणी देवन्दा वाली, ग्राम मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
2. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्टस्

3. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी श्री गणपत।
4. गणपत पुत्र कानाराम।
5. जैसाराम पुत्र भूराराम
जाति जाट निवासीयान किशन मानुपरा हाल निवासी ढाणी देवन्दा वाली ग्राम मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 30.11.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 161/2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह।
2. वकील रेस्पोडेंट राकेश शेखावत।

अपील संख्या 95/2020 जिला–सीकर।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

सुरजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी देवन्दा वाली ग्राम मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. रामू पुत्र परसा जाति जाट निवासी ढाणी देवन्दा वाली, ग्राम मालाकाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 12.03.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 86/2019

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह।
2. वकील रेस्पोडेंट राकेश शेखावत।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 20.09.2021

1. यह दोनो अपीले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.11.2017 एवं निर्णय दिनांक 12.03.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 08.05.2019 एवं 15.07.2020 को प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीलो का विषयवस्तु समान होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा भिन्न–भिन्न दो प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। दिनांक 09.06.2017 को उक्त भूमि की मौके पर सीमाज्ञान हो चुका है किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोज नष्ट कर ज़बरन अतिक्रमण करते रहते है। अतः पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दोनो प्रार्थना पत्रो पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा भिन्न–भिन्न दो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किये गये।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा दो अपीले प्रस्तुत कर दोनो अपीले स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रो पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. दोनो अपीले प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा दिनांक 23.12.2019 को प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी कराये जाने अधिन्स्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार मौका स्थिति को बिना परिवर्तन किये पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किये गये थे। रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 29.5.2019 को एक ओर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकवा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2019 मंगवाकर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2020 पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2020 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार मौका स्थिति को बिना परिवर्तन किये पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किये गये थे। उनका कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामू पुत्र परसा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो भिन्न–भिन्न जो पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया था वो बादनियतिपूर्वक प्रस्तुत किया था। वास्तविकता में भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 के किसी हिस्से पर रेस्पोडेंट संख्या 1 रामू का कोई कब्जा नही था ना ही आज है। वास्तविकता में भूमि खसरा नम्बर 2429 गत खसरा नम्बर 1561 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा का भाग है। गत खसरा नम्बर 1561 व 1560 दोनो खसरा नम्बरान में रेस्पोडेंट रामू पुत्र परसा का एक विशिष्ट हिस्सा था, उक्त भूमि में से अपीलांटगण के पिता भूरा पुत्र परसा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.01.1974 भूमि खसरा नम्बर 1561 में से उसके तत्कालीन खातेदार मंगल पुत्र जोधा के हिस्से में से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि क्रय की थी तथा उसके विक्रय पत्र में बतौर साक्षी रेस्पोडेंट संख्या 01 के हस्ताक्षर है। उक्त दोनो खसरा नम्बर 1561 व 1560 के खातेदार सामुहिक रूप से भूमि काश्त करते थे तथा उक्त विक्रेतागण ने रामू पुत्र परसा की सहमति से एक विशिष्ट हिस्से का कब्जा मौजूदा अपीलांटगण के पिता भूरा पुत्र परसा को संभलाया था। उसी हिस्से पर तथा अन्य खसरा नम्बरो की भूमि पर अपीलांटगण काबिज है जिसमें विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 की भूमि सम्मिलित है तथा खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 भूमि अपीलांटगण के पिता द्वारा क्रय किये जाने की दिनांक 28.1.1974 से अपीलांटगण यथावत काबिज है। सीमाज्ञान के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उनके समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उस सीमाज्ञान के लिये अपीलांटगण को तहसीलदार द्वारा कोई जानकारी नही दी गई। सीमावर्ती भूमि जो खसरा नम्बर 2428 है के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 के साथ अपीलांटगण का नाम अंकित है। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये तहसील कार्यालय में बैठकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि भूमि खसरा नम्बर 2445 रकबा 0.25 है0 एवं खसरा नम्बर 2428 रकबा 0.10 है0 जो खसरा नम्बर 2429 की सीमा पर स्थित है तथा इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 2416 जिसके भी अपीलांटगण खातेदार है इसके बावजूद बिना रिकोर्ड का अवलोकन किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 रामू पुत्र परसा भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 जो अपीलांटगण के कब्जे में है उसके पत्थरगढी की आड में अपीलांटगण को भूमि से बेदखल करना चाहता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 रामु पुत्र परसा ने वास्तविक तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी का प्रस्तुत किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो पत्थरगढी का आदेश दिनांक 30.11.2017 को पारित किया गया था उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील संख्या 21/2019 प्रस्तुत कर रखी है इसके बावजूद समस्त तथ्य छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अपीलाधीन आदेश पुनः प्राप्त कर लिया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पूर्व में जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बावत प्रकरण संख्या 161/2017 प्रस्तुत किया था उसमें अपीलांट व अपीलांट के अलावा प्रभातीलाल, छिगन लाल, झावरमल, जैसाराम पुत्रान भूराराम व प्रेम देवी पत्नी गणपत व गणपत पुत्र कानाराम को भी पक्षकार बनाया था लेकिन मौजूदा प्रकरण में समस्त तथ्यो को छिपाकर अपीलांट व अन्य व्यक्तियो को पक्षकार नही बनाया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही कर दिया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गोर नही किया कि एक ही भूमि के लिये पत्थरगढी हेतु दो बार आदेश पारित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय नियम एवं रिकोर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलांटस् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 निरस्त फरमाया जावे।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा दिनांक 23.12.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराये जाने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार मौका स्थिति को बिना परिवर्तन किये पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 30.11.2017 की पालना में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी की फीस जमा करवाने पर मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है की पत्थरगढी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 23.05.2018 को कर दी गई थी परन्तु अपीलांट् द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई पत्थरगढी को दिनांक 2.6.2018 को उखाड कर ले जाने से रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 के द्वारा पुनः एक ओर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढी आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किये जाने किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2020 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में विवादित भूमि की पत्थरगढी की जा चुकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनो अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपीलांट की दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः दोनो अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 तन ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपु जिला सीकर की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 तन ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक भू0अ0/18/11 दिनांक 16.01.2018 की अनुपालना में भू0अ0निरीक्षक वृत श्रीमाधोपुर एवं पटवारी हल्का पटवारीकाबास द्वारा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 23.05.2018 को की जा चुकी हैं। विवादित भूमि की पत्थरगढी को उखाड कर ले जाने पर रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 के द्वारा को पुनः एक ओर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढी आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किये जाने किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2020 पारित किया है।

9. हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश कमांक 57 दिनांक 2.06.2017 की पालना में पटवारी हल्का पटवारीकाबास द्वारा खसरा नम्बर 2429 के उत्तर में खसरा नम्बर 2416 किस्म गै0मु0 चाह, दक्षिण से पूर्व में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 2432 किस्म गै0मु0 चाह व दक्षिण–पश्चिम में खसरा नम्बर 2426 किस्म गै0मु0 चाह को पुख्ता निशान मानकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 की सीमाज्ञान की जाकर निशान देही दिनांक 09.06.2017 को की गई थी। जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट् की खातेदारी भूमि नहीं है। रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित किया गया था तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विवादित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 23.05.2018 किये जाने पर पत्थरगढी को उखाडने कर ले जाने पर रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटवारीकाबास के बाबत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के आधार पर वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढी की कार्यवाही करने तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर को आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा दोनो अपीले सारहीन होने से खारजी किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत दोनो अपील संख्या 21/2019 व 95/2020 खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 12.03.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति अपील संख्या 21/2019 व 95/2020 की पत्रावलियों के संलग्न की जाये।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

20/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/2021.
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner